

210221 - 24-3-15



दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
सद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर - 302006
दूरभाष 0141-2227267, फ़ैक्स: 0141-5115706
Website: www.rajsico.gov.in E-mail : rajsico@rajaasthan.gov.in

निविदा

- (अ) राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री हेतु 24 माह के लिये न्यूनतम बिक्री गारन्टी (एम.एस.जी.) के आधार पर निम्न काफ़्ट हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं:- राजस्थानी, नई दिल्ली "राजस्थानी मार्बल आइटम्स गोल्ड व इनले वर्क सहित" ब्ल्यू पोटेरी गलीचा दरी व दरी उत्पाद । राजस्थानी, जयपुर "लाख की चुकिया व हस्त-निर्मित लाख का सामान । आवेदन दिनांक 15.4.2015 को 1.00 बजे तक प्राप्त किये जावेगें तथा उसी दिन 3.00 बजे खोले जावेगें । निविदा प्रपत्र मुख्यालय जयपुर के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से रु. 500/- में प्राप्त कर सकते हैं । नियम व शर्त निगम की वेबसाइट पर देखी जा सकती है ।
- (ब) आई.सी.डी. जयपुर पर कन्टेनर/कारगो के हैंडलिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन अनुबन्ध हेतु पृथक-पृथक ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है । निविदा केवल <http://eproc.rajaasthan.gov.in> के माध्यम से ही दिनांक 15.4.2015 सायं 6.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है । प्राप्त सभी निविदाएँ दिनांक 16.4.2015 को सायं 3.00 बजे खोली जावेगी । निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाइट www.rajsico.gov.in पर देखी एवं डाउन लोड की जा सकती है । विस्तृत जानकारी हेतु प्रबन्धक, लॉजिस्टिक्स से दूरभाष 9414008808 पर सम्पर्क करें ।

राज.संवाद/सी/14/1927

प्रबन्ध निदेशक



दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि०
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन न. 0141-2227267 फैक्स न. 0141-5115766
web site : www.rajsico.gov.in * e-mail rajsico@rajasthan.gov.in
CIN: U91110RJ1961SGC001118

अहस्तांतरणीय

मूल्य:500
Non-Refundable

राजस्थली जयपुर, दिल्ली
हेतु निविदा प्रपत्र

निविदादाता/
आवेदक का
फोटो

निविदादाता/आवेदक का नाम :

निविदा प्रपत्र संख्या :

- निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि **15.04.2015** समय मध्याह्न **1:00** बजे
- प्राप्त निविदा उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **3:00** बजे खोली जावेगी

नोट:- लिफाफे पर हस्तशिल्प का नाम एवं राजस्थली जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है का नाम अवश्य अंकित करें। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी

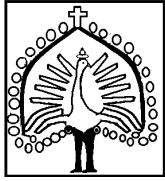
राजस्थली पर मिनिमम सेल गारन्टी पर हस्तशिल्प आईटम हेतु कन्साइन्मेंट काउन्टर्स
आवंटन किये जाने का आवेदन/निविदा प्रपत्र

1 विक्रय केन्द्र का नाम जहाँ काउन्टर :
चाहा गया है।

2 हस्तशिल्प का नाम जो आप विक्रय :
करेंगे

नोट:-

- टैक्नीकल बिड व फाईनेन्सियल बिड अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें तथा लिफाफे के उपर "टैक्नीकल बिड"/"फाईनेन्सियल बिड" अंकित करें।
- टैक्नीकल बिड में सफल निविदादाता की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी।
- निविदा फार्म व प्रपत्र निगम की वेब साइट से डाउन लोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क नकद /डीडी के द्वारा सेन्ट्रल स्टोर या दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, के नाम से जमा करवाया जाना होगा जिसकी सूचना /विवरण निविदा प्रस्तुत करते समय देनी होगी।



दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न. 0141-2227267 फैक्स न. 0141-5115766

web site : www.rajsico.gov.in * e-mail rajsico@rajasthan.gov.in

CIN: U91110RJ1961SGC001118

टैक्नीकल बिड

1. क्या निविदादाता कारीगर/निर्माता है तो : 1. कारीगर ☐
चिन्हित करें व समर्थन में वांछित 2. निर्माता ☐
दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें।
2. इस क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव है : _____
3. अमानत राशि रु. 20000/- नगद : रसीद संख्या _____ दिनांक _____
अथवा डी.डी. द्वारा ड्राफ्ट संख्या _____ दिनांक _____
4. आवेदक/निविदादाता का नाम एवं
स्थायी पता, संस्थान का नाम भी लिखें
अ. मुख्यकर्ता का नाम एवं स्थायी पता : _____
ब. टेलीफोन नम्बर फैक्स नं० एवं : _____
मोबाइल नं०
5. आवेदक फर्म का विवरण : 1. व्यक्तिगत ☐
(कृपया चिन्हित करें) 2. साझेदारी ☐
3. कम्पनी ☐
6. यदि साझेदारी फर्म है तो साझेदारी के : 1. _____
नाम व पते यदि सोसायटी या कम्पनी है 2. _____
तो संचालको के नाम व स्थायी पते 3. _____
नोट: साझेदारी डीड अथवा मेमोरेन्ड की 4. _____
सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. उत्पादन स्थल का पूरा पता : _____

8. दुकान व संस्थान नियमों के अन्तर्गत : _____
यदि पंजीकृत हो तो उसका नम्बर व
तिथि (रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति संलग्न
करें)

9. यदि संस्थान उद्योग विभाग से स्थाई रूप से रजिस्टर्ड हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक। (फोटो प्रति संलग्न करें) : _____

10. क्या आप आयकर दाता है, यदि है तो पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न संलग्न करें। : हाँ ☐ नहीं ☐
11. पेन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
12. पिछले तीन वर्षों का व्यापारावर्त का विवरण, (वैट रिटर्न के साथ) प्रस्तुत करें
13. क्या राजस्थली के आस-पास आपका स्वयं का शोरूम तो नहीं है, अगर है तो कितनी दूरी पर है। : हाँ ☐ नहीं ☐
 दूरी _____
14. यदि आपके क्राफ्ट पर वैट लगता है तो वैट/टिन रजिस्ट्रेशन नं. व दिनांक (पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें) :
15. वित्तीय स्थिति के समर्थन में सम्बंधित बैंक के शाखा प्रबंधक का साख सम्बंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा बैंक का नाम व खाता संख्या बतायें। :

दिनांक:
 स्थान :

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के
 हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता



दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन न. 0141-2227267 फैक्स न. 0141-5115766
web site : www.rajsico.gov.in * e-mail rajsico@rajasthan.gov.in

फाईनेन्सियल बिड

1. वर्ष 2015-2017 (24 माह हेतु) के लिये : दो वर्ष की (24माह हेतु) न्यूनतम बिक्री
न्यूनतम बिक्री गारन्टी राशि जिस पर गारन्टी राशि
निर्धारित दर से न्यूनतम बिक्री कमीशन
निगम को देय होगा। अंको में रु _____
शब्दों में रु _____
2. क्राफ्ट का नाम
3. अन्य विवरण :

दिनांक:
स्थान :

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता

निविदादाताओं के लिये विशेष निर्देश

1. निविदादाता निविदा देने से पूर्व काउन्टर हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले स्थान व अन्य उपलब्ध सुविधाओं इत्यादि की पूर्ण जानकारी संबंधित एम्पोरियम से प्राप्त कर सकता है तथा स्थान का अवलोकन भी कर सकता है। आवेदन पत्र का सम्पूर्ण सेट चाहे गये अनुसार पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित हो। सशर्त व अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जा सकते हैं। निगम को स्थान परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. काउन्टर आवंटन में कारीगर/निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्त निविदाओं को खोलने के पश्चात यदि निगम द्वारा पार्टियों से निगोशिएशन करने का निर्णय लिया जाता है तो केवल उन्ही निविदादाताओं को निगोशिएशन के लिए बुलाया जावेगा, जिसकी ऑफर्स, प्राप्त अधिकतम ऑफर्स से 10 प्रतिशत या इससे कम अन्तर की पाई जावेगी। निविदाएं निगम द्वारा स्वीकृति देनेके प्रयोजन से निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिन तक वैध रहेगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि रु 20000/- नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट सेन्ट्रल स्टोर या दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन जयपुर के नाम से जमा कराया जाना आवश्यक है। अमानत राशि जमा नहीं करवाये जाने पर निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

—: घोषणा : —

1. यदि मुझे/हमें काउन्टर आवंटन हुआ तो मैं/हम नियम व शर्तों का पूर्णतया पालन करेंगे, जिसके प्रति स्वरूप नियम व शर्तें हस्ताक्षर करके संलग्न की जा रही हैं।
- दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0 द्वारा व्यक्तिगत रूप अथवा मेरे/हमारे संस्थान/सोसायटी/फर्म के टेण्डर में भाग लेने के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से अथवा फर्म/संस्थान की ओर से पूर्ण अधिकृत है।

आवेदक/अधिकृत के
हस्ताक्षर नाम एवं पूरा पता
हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये।

हस्ताक्षर राजपत्रात अधिकारी/नोटेरी पब्लिक

गवाह:

नियम एवं शर्तें

1. न्यूनतम बिक्री गारन्टी: –

कन्साइनमेन्ट काउन्टर के लिए वित्तीय वर्ष में न्यूनतम बिक्री की गारन्टी देनी होगी जिस पर 22.5 प्रतिशत कमीशन निगम के पक्ष में भुगतान करना होगा यदि वास्तविक बिक्री न्यूनतम गारन्टी बिक्री से अधिक होती है तो वास्तविक बिक्री राशि पर भी 22.5 प्रतिशत कमीशन देय होगा। यदि किसी विशेष महिने में बिक्री न्यूनतम गारन्टी राशि पर देय कमीशन से भी कम होती है तो देय न्यूनतम कमीशन तथा वास्तविक बिक्री की अन्तर राशि कन्साईनर द्वारा अगामी माह की 12 तारीख तक निगम को जमा करवानी होगी।

2. लाइसेन्स फीस :—

काउन्टर का स्थान:— प्रत्येक काउन्टर के लिए प्रत्येक राजस्थली में स्थान निर्धारित है जिसका विवरण परिसिष्ट—“अ ” में वर्णित है निर्धारित स्थान का आवलोकन निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित प्रभारी राजस्थली के सहयोग से किया जा सकता है ।

क्रम संख्या 1 पर अंकित कमीशन की राशि के अतिरिक्त कन्साईनर द्वारा निम्नानुसार महावारी दरों से फर्नीचर, पानी, बिजली, पंखे की सुविधा निगम द्वारा प्रदान किये जाने के प्रतिफल स्वरूप लाइसेन्स फीस निम्नानुसार निगम को देय होगी ।

क्र०	विक्रय केन्द्र	लाइसेन्स फीस प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह
1.	राजस्थली जयपुर, दिल्ली	सम्बन्धित विक्रय केन्द्र द्वारा काउन्टर हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान(कारपेट एरिया) लिए लाइसेन्स फीस राशि 100 रु. प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह वसूल की जावेगी ।

3. बीमा :-

कन्साईनर द्वारा स्वयं के रखे गये सामान का बीमा अपने खर्चे पर कराना होगा ।

निगम किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं होगा ।

4. अनुबंध अवधि: —

बिना अनुबन्ध किये काउन्टर/स्थान का कब्जा कन्साईनर को किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा। काउन्टर 2 वर्ष के लिए आवंटित किये जावेंगे, परन्तु यह अवधि दोनों पक्षों द्वारा आपसी समझौते से अधिकतम तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है। यदि निविदादाता की कार्य विधि, व्यवहार तथा विक्री सन्तोषप्रद नहीं पायी गयी तो निगम को अनुबन्ध उक्त अवधि से पूर्व भी निरस्त कर शेष अवधि के लिए काउन्टर वित्तीय अधिकतम निविदादाता को अनुपातिक आधार पर उपलब्ध करा दिया जावेगा इस विषय में निगम के प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

5. धरोहर राशि: —

सफल निविदादाता द्वारा 6 माह के न्यूनतम बिक्री गारन्टी पर देय अनुपातिक कमीशन के बराबर धरोहर राशि काउन्टर पर विक्री प्रारंभ करने से पूर्व जमा करानी पड़ेगी जो राशि 60 प्रतिशत नकद व 40 प्रतिशत बैंक गारन्टी के रूप में जमा कराना होगा । संख्या -2 पर अंकित लाइसेन्स फीस की 6 माह की अनुपातिक राशि के बराबर नगद प्रतिभूति बतौर बिक्री प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करवानी पड़ेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों का पूर्ण पालन किए जाने के पश्चात् अनुबन्ध की समाप्ति पर लिखित आवेदन करने पर लौटा दी जावेगी। यदि अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पहले ही उसकी शर्तों के उल्लंघन के कारण समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापिस लिया जाता है तो प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जावेगी तथा इसके फलरूप निगम को हुई हानि यदि प्रतिभूति राशि से अधिक होगी तो शेष राशि कन्साईनर को देय अन्य राशि से एवं न्यायालय के माध्यम से वसूल की जावेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6 विक्रय प्रक्रिया: —

काउन्टर पर समस्त बिक्री निगम द्वारा इस उद्देश्य से उपलब्ध करवायी गई केशमीमों के द्वारा ही की जावेगी। राजस्थली/निगम द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जाना निविदादाता के लिए अनिवार्य है। केशमीमों की राशि निगम के द्वारा अधिकृत केश काउन्टर पर ही एकत्रित की जावेगी, जो कन्साईनर को आगामी माह की 30 तारीख तक निगम को देय कमीशन, लाइसेन्स फीस एवं अन्य बकाया राशि को काटकर भुगतान की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में चालू माह में अधिकतम एक बार अग्रिम दिया जा सकेगा, बशर्ते कि अग्रिम लेते समय उस माह का पूर्ण कमीशन, लाइसेन्स फीस एवं अन्य बकाया राशि से अधिक की बिक्री काउन्टर पर हो जाती है

7 निविदादाता के स्वयं के अन्य शोरूम राजस्थली के आसपास होने की स्थिति में:—

यदि किसी निविदादाता का स्वयं का अथवा परोक्ष रूप से सहभागिता का शोरूम या दुकान उसी मार्ग पर जिस पर राजस्थली शोरूम स्थित है, या राजस्थली शोरूम के आसपास स्थित है, उस स्थिति में निगम सामान्य स्थिति में निविदा पर विचार न करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

8 विक्रय राशि पर छूट :—

कन्साईनर द्वारा जैसा कि व्यवस्थापक अथवा निगम का अधिकृत अधिकारी निर्देश देवें तो विक्रय राशि पर 20 प्रतिशत तक की छूट देनी होगी। छूट की आधी राशि निगम द्वारा और शेष आधी राशि कन्साईनर वहन करेगा। ऐसी बिक्री पर निगम को देय निर्धारित दर पर कमीशन निगम द्वारा वहन की गई छूट की राशि को कम करके गणना की जावेगी। कन्साईनर द्वारा स्वयं की इच्छा से दी गई छूट उसके द्वारा ही वहन की जावेगी। ऐसी बिक्री पर निगम को देय कमीशन की राशि वही होगी जो कि ऐसी छूट न देने पर होती।

9 (अ) वैट /अन्य कर की वसूली:—

कन्साईनर द्वारा विधि तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत बिक्री पर निर्धारित दर से वैट वसूल करना होगा। ऐसा करने में असफल होने पर वैट की राशि विक्रय राशि से वसूल की जावेगी। हस्तशिल्प के नाम की भाषा में फेर-बदल आदि करके

वैट का अपवंचन करने की स्थिति में राजस्थली के प्रबंधक/प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर पेनल्टी लगाकर भविष्य में ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दें। यदि तीन बार इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है, उस स्थिति में प्रबंधक/प्रभारी बिक्रीकर पर रोक लगाकर मुख्यालय को सूचित करे। निगम उक्त अवस्था में तुरन्त प्रभाव से दी गई सुविधा/अनुमति को निरस्त भी कर सकेगा ।

(ब) सर्विस टैक्स व अन्य देय कर.— नियमानुसार कन्साईनर को वहन करना होगा।

10 माल की उचित दर निर्धारण: —

कन्साईनर द्वारा काउन्टर पर बिक्री हेतु रखे गये माल की उचित कीमत ली जावेगी एवं उसको इस सम्बन्ध में दिये निर्देशों का पालन करना होगा । माल की उचित दर निर्धारण में व्यवस्थापक/प्रभारी अथवा निगम के अधिकृत अधिकारी के निर्णय की पालना किया जाना कन्साईनर के लिए अनिवार्य होगा तथा निगम को हस्तक्षेप किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि कन्साईनर की किसी प्रकार की त्रुटि या भूल चूक के कारण निगम को किसी भी प्रकार की हानि उठानी पड़ती है तो उस हानि की पूर्ति कन्साईनर द्वारा करनी होगी और निगम को यह अधिकार होगा की उस हानि की राशि को बिक्री की राशि में से अथवा अन्य कोई देय राशि में से वसूल कर ले । किसी क्रेता की गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत का निराकरण निगम के निर्देशानुसार दूर करने का दायित्व कन्साईनर का होगा । प्रबंधक/प्रभारी विक्रय केन्द्र को यह भी अधिकार होगा की अगर उसे काउन्टर पर किसी सामान की विक्रय दर अधिक प्रतीत होती है तो वह सामान की बिक्री बन्द करवा सकता है

11 माल की उचित गुणवत्ता:—

कन्साईनर को काउन्टर पर बिक्री हेतु रखे गये माल की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी । निगम माल की गुणवत्ता के बारे में उचित प्रमाण-पत्र अथवा जानकारी प्राप्त कर सकता है । अपने विवेकानुसार निगम यह महसूस करता है कि बिक्री हेतु रखे गये माल की गुणवत्ता में कमी के कारण क्रेता में असंतोश की भावना उत्पन्न हो सकती है अथवा राजस्थली की साख पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तो आवंटन निरस्त करने व हुई हानि अगर कोई हो तो की वसूली कन्साईनर से करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

काउन्टर नियंत्रण व अधीक्षण संबंधी शर्त : —

काउन्टर पर पूर्ण नियन्त्रण व अधीक्षण निगम का होगा। निगम के अधिकारी /कर्मचारी/ सेवक अथवा प्रतिनिधि काउन्टर का निरीक्षण कर सकेंगे, कि काउन्टर आवंटन की शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं?

12 कन्साईनर के काउन्टर्स के कब्जे संबंधी अधिकार: —

कन्साईनर को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से काउन्टर का कब्जा दे दें अथवा उसके किसी भाग को दूसरों के सुपुर्द कर दें। इस शर्त के उल्लंघन पर निगम द्वारा काउन्टर का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा पूर्व सूचना दिया जाना निगम के लिए आवश्यक नहीं होगा एवं इससे निगम को हुई वित्तीय हानि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13 कन्साईनर द्वारा नियुक्त विक्रय सहायक संबंधी शर्त: —

एक आवंटित काउन्टर पर एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त नहीं किए जा सकते। पार्टी द्वारा लिखित अनुरोध पर प्रबन्धक/प्रभारी यदि आवश्यक समझे तो अधिक विक्रय सहायकों को नियुक्त करने की इजाजत दे सकते हैं। कन्साईनर द्वारा अच्छे चरित्र व आचरण के व्यक्ति को माल की बिक्री हेतु काउन्टर पर नियुक्त किया जावेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उम्र, पता एवं नमूने के हस्ताक्षर उनके फोटो पहचान पत्र सहित निगम को उनकी वास्तविक नियुक्ति से पूर्व प्रस्तुत करने होंगे एवं निगम पहचान पत्र जारी कर सकेगा। निगम को अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगादे जो कि अवांछित हो।

14 प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं संबंधी उत्तरदायित्व:—

निगम कन्साईनर के माल की हर संभव सुरक्षा एवं संरक्षा करेगा लेकिन किसी भी प्रकार की घिसावट, कमी, चोरी, (pilferage) अथवा दंगे, अग्नि, डकैती अथवा अन्य (unforeseen); कारणों, भूकम्प व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

15 कमीशन भुगतान संबंधी शर्त: —

चैक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड जो काउन्टर पर की गयी बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त होंगे उनको भुनाने का कमीशन कन्साईनर द्वारा वहन किया जावेगा।

16 माल के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी शर्तें: —

कन्साईनर केवल निर्दिष्ट माल को निगम के अधीक्षण में प्रदर्शन एवं बिक्री कर सकेगा तथा निगम द्वारा दिये गये समस्त निर्देशन एवं अनुदेशन का पालन करना होगा, जिसके असफल/उल्लंघन होने पर निगम को यह अधिकार होगा कि कन्साईनर व उसके किसी अन्य कर्मचारी का काउन्टर पर प्रवेश रोक दे।

17 टेलीफोन व अन्य सुविधाओं संबंधी शर्तें:—

किसी भी कन्साईनर को टेलीफोन/लैण्ड लाईन, इन्टरनेट, WAN, LAN, आदिच सुविधाएं स्वयं के नाम से लेने की इजाजत नहीं होगी। इस शर्त की अवहेलना पाये जाने पर निगम बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा सकता है।

18 बकाया राशि पर ब्याज भुगतान संबंधी नियम: —

निर्धारित अवधि के पश्चात बकाया राशि पर कन्साईनर द्वारा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से निगम को ब्याज भुगतान करना होगा।

19 बिक्री काउन्टर की व्यवस्था संबंधी नियम: —

कन्साईनर द्वारा बिक्री काउन्टर को साफ तथा अच्छी हालत में रखा जावेगा एवं अच्छी किस्म का सामान स्टोर किया जावेगा। उससे यह आशा की जाती है कि किसी भी प्रकार से काउन्टर की दीवारों, फर्श एवं अन्य ढांचे को क्षति न पहुंचे। किसी भी कारण यदि निगम को क्षति होती है तो इसकी वसूली कन्साईनर से की जावेगी। उसे तथा उसके कर्मचारियों द्वारा निगम द्वारा समय समय पर एम्पोरियम/काउन्टर के लिये बनाये गये नियमों का पालन करना होगा।

20 बिक्री किये जाने वाले काफ्ट पर लागू नियमों का पालन: —

कन्साईनर द्वारा बिक्री किये जाने वाले काफ्ट पर लागू समस्त नियमों एवं कानूनों का पालन करना होगा और किसी भी कारण अथवा भूल से निगम को झुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।

21 एम्पोरियम में प्रवेश का अधिकार: —

एम्पोरियम में प्रवेश का अधिकार निगम द्वारा सुरक्षित है।

22 एम्पोरियम की कार्यविधि की पालना संबंधी नियम: –

कन्साईनर द्वारा ऐसा कोई भी कार्य जो निगम की दृष्टि में आपत्तिजनक है अथवा जो निगम/ एम्पोरियम की कार्यविधि (**Decorum**) के प्रतिकूल है, नहीं किया जावे।

23 सुरक्षा संबंधी नियम: –

कन्साईनर द्वारा काउन्टर पर कोई भी खतरनाक, आग लगने वाला व अन्य तरह से नुकसान पहुंचाने वाला सामान नहीं रखा जावेगा।

24 एम्पोरियम की व्यवस्था संबंधी नियम: –

एम्पोरियम बन्द होने पर कन्साईनर अपना सामान उनको दी गई जगह अलमीरा/काउन्टर में ताला लगाकर सुरक्षित रखेंगे एवं एम्पोरियम बन्द होने के समय काउन्टर छोड़ देंगे। निगम एम्पोरियम का कार्य समय समय पर निश्चित करेगा व जिसका पालन कन्साईनर को करना होगा।

25 निगम के नाम के उपयोग संबंधी शर्त: –

कन्साईनर निगम के नाम का उपयोग बिना पूर्वानुमति के किसी विज्ञापन व प्रचार आदि के लिए नहीं करेगा।

26 आवंटन वापस लेने संबंधी परिस्थितियां: –

निम्नांकित किन्ही एक कारण से आवंटन को वापिस लेने के लिए निगम स्वतंत्र होगा—

क — यदि कन्साईनर द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

ख — यदि कन्साईनर पूरे कलेण्डर महिने में काउन्टर को बिक्री के लिए खोलने में असमर्थ रहे।

ग — यदि कन्साईनर कमीशन, अन्य बकाया राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में करने में असफल रहे।

घ — यदि कन्साईनर अनुबन्ध की कोई भी शर्त का उल्लंघन करें।

ड – यदि कन्साईनर की मृत्यु हो जावे अथवा वह दिवालिया हो जावे, जिसके कारण काउन्टर पर बिक्री को बन्द करना पड़े अथवा रिसीवर या लिक्वीडेटर के तहत बिक्री करनी पड़े।

च – यदि निगम हित में पाये जाने पर ।

27 आवंटन वापस लेने की दशा में निगम की यथाविधि: –

उपर्युक्त परिस्थितियों में लाईसेन्स को वापिस लेने की दशा में निगम काउन्टर का पूर्ण अधिकार माल सहित लेने में स्वतंत्र होगा निगम के समस्त बकाया का भुगतान काउन्टर को वापिस लेने की तिथि से एक महिने के अन्दर कन्साईनर को करना होगा ऐसा नहीं करने पर निगम को यह अधिकार होगा कि कन्साईनर के माल को नीलाम कर दें और प्राप्त राशि को कन्साईनर पर बकाया तथा उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि ऐसी क्षति पूरक राशि को सम्मिलित करते हुए जैसा कि निगम अपने पूर्ण विवेक से तय करे, मय समायोजित कर ली जावेगी। उसके पश्चात यदि कोई राशि शेष रहती है तो कन्साईनर को बिना ब्याज के भुगतान कर दी जावेगी।

28 कन्साईनर को सूचना संबंधी नियम: –

कन्साईनर को यदि कोई सूचना दी जाए या देना आवश्यक हो जावे तो वह पर्याप्त रूप से दी गई मानी जावेगी यदि निगम द्वारा या इसके किसी एजेन्ट के द्वारा पोस्ट के जरिये, पंजीकृत पत्र द्वारा उल्लेखित पते पर भेजी गई हो अथवा विकल्प के रूप में वर्णित काउन्टर पर चिपका दी गई हो।

29 विवाद व निवारण संबंधी नियम: –

इस लाइसेन्स से संबंधित कोई भी विवाद/मतभेद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होने पर ऐसे समस्त विवाद /मतभेद निस्तारण हेतु प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष, राजस्थान लघु उद्योग निगम लि०, जयपुर को प्रेषित किया जा सकेंगे। निगम के प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष को प्रेषित किये गये ऐसे समस्त विवादों का निस्तारण बहैसियत एकल पंच करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। यदि प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष चाहे तो वे ऐसे विवादों /मतभेदों को बहैसियत एकलपंच निस्तारित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को मनोनित करने हेतु स्वतन्त्र

होगे । इस संबंध में पक्षकारों ने सहमति यह जानते हुये दी है कि अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक का निगम में बहसियत अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक हित निहित है । पक्षकारों के मध्य उत्पन्न समस्त विवादों / मदभेदों का निस्तारण का क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय को होगा ।

30 प्रदर्शनी आयेजन संबंधी नियम: —

यदि निगम द्वारा बिक्री के लिये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है तो ऐसी प्रदर्शनी में कन्साईनर को अपना माल प्रदर्शित एवं बेचने हेतु प्राथमिकता दी जा सकती हैं । अगर वह प्रदर्शनी में भाग लेने में असमर्थ रहता है उसका यह कृत्य उसके लाइसेन्स को समाप्त करने के योग्य होगा । इस विषय में अंतिम निर्णय निगम के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा कन्साईनर के लिये अंतिम तथा मान्य होगा ।

31 अनुबन्ध निष्पादन संबंधी नियम: —

कन्साईनर द्वारा 100 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में काउन्टर स्वीकृत पत्र जारी होने के एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा ।

32 निविदा को मान्य /अमान्य करने संबंधी नियम: —

किसी भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा तथा पार्टी को इसके लिए कोई कारण नहीं बतलाया जावेगा ।

33 आवंटित स्थान संबंधी नियम: —

निविदादाता निविदा देने से पूर्व संबंधित विक्रय केन्द्र के व्यवस्थापक/प्रभारी से सम्पर्क कर उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान व अन्य सुविधाओं की जानकारी कर लेवे । निगम को आवंटन स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिस हेतु निविदादाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

34 अस्थाई रूप से विक्रय केन्द्र बंद करने की दशा में निगम की यथाविधि: :-

नवीनीकरण अथवा किसी अन्य कारण से निगम को यदि कुछ समय के लिए विक्रय केन्द्र बन्द करना पड़े अथवा मिनिमम सेल गारन्टी व्यवस्था रोकनी (Discontinue) पड़े तो इस अवधि हेतु देय अनुपातिक मिनिमम सेल गारन्टी राशि को कुल मिनिमम सेल गारन्टी राशि में से कम कर दिया जावेगा। उक्त अवधि में काउन्टर होल्डर द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर निगम द्वारा निर्धारित कमीशन व लाइसेन्स फीस चार्ज की जावेगी।

नोट:- भौतिक सत्यापन के समय विक्रय केन्द्र यदि बिक्री बन्द रखता है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी।

35 निगम के कार्यविधि की अवमानना संबंधी नियम: -

यदि कन्साईनर एम्पोरियम के प्रबंधक/प्रभारी के निर्देशों की अवमानना करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आने वाले ग्राहक को यह प्रतीत हो कि काउन्टर एम्पोरियम का हिस्सा नहीं है या कन्साईनर इस काउन्टर को चला रहा है, ऐसी स्थिति में प्रबन्धक/प्रभारी तुरन्त प्रभाव से आवन्तित काउन्टर पर बिक्री बंद कर सकता है।

36 कम्प्यूटरीकरण संबंधी नियम: -

यदि निगम अपने शोरूम का कम्प्यूटरीकरण व बारकोड करवाता है तो कन्साईनर को भी आवन्तित काउन्टर का कम्प्यूटरीकरण व बारकोड पर जो भी खर्चे हों उसका भुगतान कन्साईनर को निगम में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

37 ड्रेस कोड संबंधी नियम: -

निगम अपने शोरूम में जो ड्रेस कोड स्थापित करता है, कन्साईनर को भी स्वयं के खर्चे पर अपने विक्रय सहायक हेतु ड्रेस कोड नियम का पालन करना होगा।

38 यदि कोई कन्साईनर किन्हीं परिस्थितियों में निगम द्वारा विशिष्ट प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाये गये स्थान के लिए किरायेदारी हक या अन्य दावे के लिए न्यायिक प्रक्रिया करता है तो निगम उसे ब्लेक-लिस्ट कर सकेगा।

उपर्युक्त शर्तें पुर्णतया स्वीकार है।

दिनांक:

स्थान :

हस्ताक्षर प्रमाणित:

राजपत्रित अधिकारी / नोटेरी पब्लिक

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता
(मय मोहर)

परिशिष्ट-“अ ”

मिनिमम सेल गारन्टी पर आवंटित काउन्टरों के लिए दी जाने वाली जगह का व्यौरा:-

राजस्थली, दिल्ली

क्र.सं.	क्राफ्ट	जगह का व्यौरा लगभग
1	● <u>राजस्थानी मार्बल आइटम्स गोल्ड व इनले वर्क सहित,</u>	240 वर्गफुट ग्रा. फ्लोर
2	● <u>ब्ल्यूपोटरी,</u>	100 वर्ग फुट ॥ फ्लोर
3	● <u>गलीचा दरी व दरी उत्पाद</u>	300वर्ग फुट ॥ फ्लोर

राजस्थली, जयपुर

क्र.सं.	क्राफ्ट	जगह का व्यौरा
1	● <u>लाख की चुड़िया व हस्तनिर्मित लाख सामान</u>	86 वर्गफुट प्रथम मंजिल